

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 144/2019 दायर दिनांक 25.06.2019

वादी

1. कानाराम पुत्र पीथाराम उम्र 61 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सागू कलां तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. छोगाराम पुत्र दीना
2. सुगनादेवी पत्नि भंवरलाल
3. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
4. जैसाराम पुत्र मांगीलाल
5. गोविन्दप्रसाद पुत्र शंकरलाल
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरलाल
7. सुशीलादेवी पुत्री शंकरलाल
8. चन्द्रादेवी पत्नि शंकरलाल
9. लालूराम पुत्र पांचाराम समस्त जातिगण मेघवाल, निवासीगण सागू कलां तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राज.।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागू कलां, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राज
11. मैनेजर, एस.बी.आई बैंक शाखा छोटी खाटू तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राज.।
12. तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 13.08.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है सरहद ग्राम सागू कलां पटवार क्षेत्र केराप भू.अभि.नि.क्षे. केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.03.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांक: 1200 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 1200 दिनांक 23.10.2023 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

New
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम सागू कलां पटवार क्षेत्र केराप भू अभि.नि.क्षे. केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1200 दिनांक 23.10.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1200 दिनांक 23.10.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wras
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wras
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 144/2019 दायर दिनाँक 25.06.2019

वादी
1. कानाराम पुत्र पीथाराम
उम्र 61 वर्ष, जाति
मेघवाल, निवासी सागू
कलां तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण
1. छोगाराम पुत्र दीना
2. सुगनादेवी पत्नि भंवरलाल
3. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
4. जैसाराम पुत्र मांगीलाल
5. गोविन्दप्रसाद पुत्र शंकरलाल
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरलाल
7. सुशीलादेवी पुत्री शंकरलाल
8. चन्द्रादेवी पत्नि शंकरलाल
9. लालूराम पुत्र पांचाराम समस्त जातिगण
मेघवाल, निवासीगण सागू कलां तहसील
डीडवाना, जिला नागौर, राज.।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागू
कलां, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राज
11. मैनेजर, एस.बी.आई बैंक शाखा छोटी खाटू
तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राज.।
11. 12. तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

दावा बाबत

घोषणा खातेद्वारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 13.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम सागू कलां पटवार क्षेत्र केराप भू.अभि.नि.क्षे. केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1200 दिनाँक 23.10.2023 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1200 दिनाँक 23.10.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

| | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|--|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक | - | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |
| | | | | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

inkes
उपखण्ड अधिकारी
डी.डवाना
डी.डवाना